न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/140/2022	2022/296	21.12.2022	21.05.2024

1. दिनेश चन्द पुत्र बलराम जाति मीना उम्र 33 साल
2. रामनिवास पुत्र बलराम जाति मीना उम्र 28 साल निवासी कुण्डला तहसील टहला जिला अलवर

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार टहला, अलवर

——रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय अदालत तहसीलदार टहला दिनांक 14.07.2022 प्रकरण संख्या 48/2022।

उपस्थितः—

01. श्री उमाशंकर खण्डेलवाल —वकील अपीलाण्ट्स
02. राजकीय अभिभाषक —वकील रेस्पोडेन्ट

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार टहला के निर्णय दिनांक 14.07.2022 प्रकरण संख्या 48/2022 जिसके द्वारा संवत 2079 में ग्राम कूण्डला तहसील टहला की आराजी खसरा न0 390 रकबा 0.07 है0 किस्म गैर मु0 चाह में से 0.07 है0 एवं आराजी खसरा न0 391 रकबा 0.01 है0 किस्म गैर मु0 धर्मशाला में से 0.01 है0 भूमि पर कब्जा बाढ लगाकर अतिक्रमण करने पर बेदखली की कार्यवाही से व्यथित होकर पेश की है। अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं कि पटवारी कुण्डला तहसील टहला ने एक रिर्पोट तहसीलदार टहला के यहां बाबत अतिक्रमण खसरा नबर 391, 390 वाके ग्राम कुण्डला तहसील राजगढ़ की बाबत कब्जा बाड लगा कर करने की प्रस्तुत की जिस रिर्पोट की बाबत अपीलांटस को नोटिस जारी करने के आदेश दिये अपीलांट दिनेशचन्द की इतिला होने पर दिनेशचंद ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि खसरा नंबर 390, 391 में प्रार्थी निवास करताहै मंदिर बना रखा है उक्त आराजी पर सिविल न्यायालय से स्थगनआदेश ले रखाहै जिसमें पटवारी, तहसीलदार पार्टी है शिकायतकर्ताओ के साथ मेरा जमीनी विवाद है स्थगन आदेश की प्रतिलिपी सलंग्न है जिस जवाब के आधार पर तहसीलदार टहला ने मुझ अपीलांट दिनेश को यह कहाकि स्टे आदेश ह अब कोई कार्यवाही नही करेगें तथा दिनेश को कोई तारीख नियत नही की इसके उपंरात अपीलांट दिनेश तहसील में उपस्थित नही हुआ और रामनिवास को कोई नोटिस जारी नही किये अब पटवारी हल्का ने दिनांक 29.11.2022 को मुझ अपीलांट से पेलेन्टी के 100/— रू0 की मांग की ओर कहा कि तुझे बेदखल कर दिया

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

है पेलेन्टी जमा कराओ तब अपीलांट दिनेश चंद ने तहसीलदार टहला के निर्णय की जानकारी की तथा नकल हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 30.11.2022 को पेश किया जो 01.12.2022 को नकल प्रापत हुई तो जानकारी हुई कि दिनांक 14.07.2022 को तहसीलदार टहला ने गलत रूप से निर्णय पारित कर दिया है तो उस निर्णय के विरूद्व अपीलांट द्वारा निम्न आधारों पर अपील पेश की जा रही है।

तहसीलदार टहला के निर्णय के विरूद्व अपील सुनवाई का श्रीमान को क्षेत्राधिकार है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी सर्वप्रथम अपीलांट को दिनांक 2.11.2022 को पटवारी हल्का द्वारा बताने पर हुई थी इससे पहले अपीलांट ने अधिनस्थ न्यायालय में जवाब व स्थगन आदेश पेश किया तो तहसीलदार टहला द्वारा कोई तारीख नियत नहीं की ओर यह कहा कि स्थगन आदेश सिविल न्यायालय का चल रहा है कोई कार्यवाही नही होगी जिससे अपीलांट सन्तुष्ट हो गया दोयम रामनिवास की कोई इतिला किसी प्रकार की नही हुई ओर ना नोटिस जारी हुये। इसलिये जानकारी से अंदर अवधी अपील पेश है दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है। अपील के साथ अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की सत्यप्रतिलिपी पेश है। उक्त विवादित आराजी में अपीलांट की रिहायश काफी अर्से से हो रही है व मकान बना हुआ है पटवारी हल्का ने गलत रिर्पोट संवत 2079 में वाड लगा कर कब्जा करने की प्रस्तुत की है। अपीलांट रामनिवास को कोई नोटिस जारी नही किये और ना सुनवाई का अवसर प्रदान किया तहसीलदार का निर्णय मनमाना एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है।

उक्त आराजी बाबत मकान अपीलांट ने अदालत सिविल न्यायाधीश महोदय राजगढ के यहां स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर रखा है, जिसमें स्थगन आदेश जारी है जिसमें तहसीलदार पक्षकार है ऐसी स्थिति में तहसीलदार को उक्त कार्यवाही करने या निर्णय करने का क्षेत्राधिकार नही है। राजस्थान सरकार तहसीलदार ने सिविल न्यायालय में जवाब पेश कर अपीलांट का मकान खसरा नबर 391 में होना माना है इस केस में कमीश्नर नियुक्त हुआ है जिसने अपील रिर्पोट भी प्रस्तुत की है। पटवारी हल्का के बयान भी इस कार्यवाही में रिकार्ड नही किये है ओर ना मौका रिर्पोट तलब की है। अपीलाट को सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया है। जिस कारण निर्णय तहत अदालत अपास्त किये जाने योग्य है। अन्य वजूहात वक्त बहस अर्ज किये जावेंगें।

अतः अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि अपील मंजूर फरमाई जाकर तहसीलदार टहला का निर्णय दिनांक 14.07.2022 निरस्त फरमायें जाने की कृपा करें। जावें। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। रैस्पोडैन्ट्स जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित। तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। रैस्पोडैन्ट द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। सीधे ही बहस करना चाहता है।

वकील उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। अपील में तथ्य निहित होने से एवं माननीय

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अवलोकन एवं वकील उभयपक्ष की बहस के बिन्दुओं पर चिन्तन–मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न पटवारी हल्का कुण्डला की रिपोर्ट दिनांक 08.06.2022 के अनुसार विवादित आराजी पर कब्जा बाढ लगाकर पुनः अतिक्रमी हो बताया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अतिक्रमी/अपीलान्ट को विधिवत तामील हुआ नोटिस संलग्न है। पटवारी हल्का कुण्डला से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 03.02.2023 में विवादित खसरा नम्बर 391 में मौके पर कुंआ बना हुआ है जिसे ऊपर से पाट कर बन्द कर रखा है एवं 390 में मौके पर तिबारा (धर्मशाला) बनी हुई है जिसके चारों तरफ 5–6 फीट ऊंची पक्की चार दीवार बनी हुई है। सडक मार्ग के पास लगभग 15–20 फीट की दूरी पर बाढ लगा रखी है। मौके पर वर्तमान में चारदीवारी के अन्दर छोटे–बडे पेड–पौधे तथा गेंहु, कासनी, सरसों की फसल बो रखी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधिवत सुनवाई की जाकर बेदखली का आदेश दिनांक 14.07.2022 पारित किया गया है। जो उचित है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपील अपीलान्ट सारहीन होने से अस्वीकार किए जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी0 आर0 मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)